परियोजना-1 के लिए प्रपत्र

(नोट : सहायतानुदान मिल जाने पर विभाग के प्रति निमंत्रण पत्र/स्मारिका पर आभार प्रकाशित करना आवश्यक है। इन्हें प्रकाशित न किए जाने की दशा में मंच से आभार व्यक्त किया जाना आवश्यक है)

1	संस्था का नाम और पूरा पता :	
2	क्या संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत है (यदि है तो पंजीकरण संख्या तथा तिथि दें)।	
3	खेले जाने वाले नाटक का नाम	
4	प्रकाशित है या अप्रकाशितः (अप्रकाशित हो तो पाण्डुलिपि संलग्न करें)	
5	पात्रों की संख्या, जो मंच में सक्रिय भाग लेते हैं, पुरूष------ स्त्री---------	
6	निर्देशक का नाम	
7	क्या निर्देशक संस्था का सदस्य है ?	
8	निर्देशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त है या नहीं ?	
9	रंगमंच के आरक्षण की रसीद संलग्न है / संलग्न नहीं है।	
10	तारीख, जब नाटक मंचन होगा	
11	अपेक्षित सहायतानुदान धनराशि	

हस्ताक्षर :

पदनाम :

इस नाटक की पुस्तक/पाण्डुलिपि मैंने देख ली है। कोई अंश आपत्तिजनक अथवा अश्लील नहीं है। मंच में सक्रिय भाग लेने वालों की संख्या ----- है। नाट्य संस्था इससे पूर्व दो आयोजन निजी स्रोतों से कर चुकी है, अतः सहायतानुदान की सिफारिश की जाती है। परियोजना-1 के अन्तर्गत यह संस्था --------------------- धनराशि की हकदार है।

नाटक ------------- तारीख को --------स्थान पर खेला जायेगा और इसके मंचन पर मुझे आमंन्त्रित किया गया है। नाटक देखने के बाद पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

जिला भाषा अधिकारी

परियोजना-1

अव्यवसायी नाट्य संस्थाओं/नृत्य दलों को सहायतानुदान देने की परियोजना

(सरकार के पत्र संख्याः भाषा-क(3)10/80, दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा अनुमोदित)

1. उद्देश्य :

इस परियोजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं नाट्य संस्थाओं/नृत्य दलों को सहायतानुदान दिया जायेगा जो अव्यवसायी संस्थायें होंगी। इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

1 स्वैच्छिक नाट्य संस्थाओं की नाट्य कला एवं नृत्य दलों की नृत्य कला का विकास एवं प्रोत्साहन ।
2 नाट्य कला, नृत्य कला के क्षेत्र में कार्य करने हेतु भावना को बढ़ावा देना।
3 रंगमंच के प्रचार-प्रसार हेतु ।

2 संस्थायें जिन्हें धन-राशि दी जा सकती है :

1 संस्था का व्यवसाय केवल नाटक करना/नृत्य करना ही न हो और
2 संस्था समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, या
3 संस्था साविधिक हो, या
4 संस्था राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात हो ।

3 मदें जिनके लिए धन-राशि दी जायेगी :

1 हाल का किराया (यह राशि विभाग द्वारा मूल रूप में रसीद प्राप्त करने के पश्चात आयोजक को चुकाई जायेगी)।
2 वेशभूषा सहित रिहर्सल के लिए एक दिन के हाल का किराया (यह राशि विभाग द्वारा मूल रूप में रसीद प्राप्त करने के पश्चात आयोजक को चुकाई जायेगी)।
3 रिहर्सल के लिए कमरे का किराया (बीस दिन तक) जो 25/ रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं होगा। यह नियम बाहर से बुलाए जाने वाले लोक नृत्य दलों पर लागू नहीं होगा।
4 कलाकारों को जलपान हेतु रुपये 5/- दैनिक प्रति कलाकार (अधिक से अधिक बीस दिनों तक) ।

यह राशि 100 प्रतिशत सहायतानुदान के रूप में दी जायेगी ।

4 निर्देशक की फीस :

1 यदि निर्देशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली से प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ड्रामा में डिग्री प्राप्त हो अथवा राष्ट्रीय स्तर का प्रख्यात निर्देशक हो तो उसकी फीस 2,000/- रुपये तक दी जा सकती है । (अधिकतम सीमा) ऐसा खर्च नर्तक दलों के निर्देशक पर भी किया जाएगा ।
2 यदि निर्देशक संस्था का ही सदस्य अथवा पदाधिकारी हो तो उसे कोई फीस नहीं दी जायेगी ।

5. प्रकाश तथा ध्वनि :

1 प्रकाश तथा ध्वनि यंत्र आयोजन और स्टेज रिहर्सल के दिनों में विभाग की ओर से दिये जायेंगे और उनके चालक की फीस भी विभाग द्वारा दी जायेगी जो 50/- रुपये प्रतिदिन तक होगी।
2 शिमला से बाहर, इन उपकरणों को ले जाने की छूट विशेष कारणों में ही दी जा सकेगी, जिसमें निदेशक सक्षम होंगे।

6. सहायतानुदान देने की प्रक्रिया :

1 विभाग के विहित प्रपत्र पर प्रार्थना पत्र जिला भाषा अधिकारी के माध्यम से विभाग तक पहुंचाना चाहिए।
2 जिस थियेटर को बुक किया गया है उसकी मूल रसीद भी प्रार्थना पत्र के साथ लगी होनी चाहिए।
3 यदि नाटक अप्रकाशित है तो नाटक की पाण्डुलिपि भी प्रार्थना पत्र. के साथ लगी होनी चाहिए।
4 अप्रकाशित पाण्डुलिपि के अनुमोदन के पश्चात ही सहायतानुदान दिया जायेगा।
5 सहायतानुदान की राशि अनुदान देने की तिथि से तीन मास के भीतर व्यय की जायेगी अन्यथा तमाम राशि ब्याज सहित वापस ले ली जायेगी ।
6 धन राशि केवल उसी कार्यक्रम पर व्यय की जायेगी जिसके लिए वह स्वीकृत की गई है ।
7 सहायतानुदान प्राप्त संस्था, विभाग के अधिकारियों तथा सम्बन्धित जिला भाषा अधिकारी को कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करेगी ताकि आयोजन का स्तर जांचा जा सके ।

7 सहायतानुदान की सीमा :

सहायतानुदान निदेशक, भाषा एवं संस्कृति के स्वविवेक पर स्वीकृत किया जायेगा ।

8. उपयोगिता प्रमाणपत्र :

आयोजन के तुरन्त बाद संस्था के प्रधान/सचिव का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजें, जिसमें दिये गये सारे खर्च का विवरण हो और यह भी दर्शाया गया हो कि धनराशि जिस उत्सव/कार्यक्रम के लिए दी गई थी उसी पर खर्च की गई है।

प्रपत्र संलग्न है। प्रपत्र जिला भाषा अधिकारी द्वारा सिफारिशित किया जाना आवश्यक है।